21/04/2024

शामिल विषय(topics cover)

- **IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी (21 अप्रैल) (GS PaperI: सोसाइटी, GS PaperII(Weaker section)**
- **एक मृत जलधारा (dead stream springs) 30 वर्षों के बाद फिर से जीवित हो उठती है (21 अप्रैल) (GS PaperIII: पर्यावरण संरक्षण)**
- **भारत एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि 'विनियमन' के पक्ष में है (21 अप्रैल) (GS PaperII: पर्यावरण)**

PatriotiqIAS

IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी (21 अप्रैल) (GS PaperI: सोसाइटी, GS PaperII: weaker section)

IRDAI

- **वैधानिक निकाय: बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** द्वारा स्थापित , IRDAI भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के लिए जिम्मेदार स्वायत्त नियामक एजेंसी है।
- **मुख्यालय:** हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
- **संरचना:** IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष , पांच पूर्णकालिक सदस्य और भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

जनादेश और उद्देश्य

- : पॉलिसीधारकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना।
- **उद्योग को विनियमित करना:** लाइसेंसिंग, विनियमन सेटिंग और पर्यवेक्षण के माध्यम से बीमा क्षेत्र की देखरेख करना। **पॉलिसीधारकों की सुरक्षा**
- **विकास को बढ़ावा देना:** बीमा बाजार की व्यवस्थित वृद्धि और विकास के लिए माहौल बनाना।
- **प्रतिस्पर्धा:** ग्राहकों की पसंद बढ़ाने और उचित प्रीमियम प्रदान करने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना

महत्वपूर्ण कार्यों

- **जारी करने के नियम:** IRDAI बीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम बनाता है, जिसमें बीमाकर्ता, मध्यस्थ, उत्पाद डिजाइन और बहुत कुछ शामिल होता है।
- बीमाकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करता है और एजेंटों और दलालों जैसे मध्यस्थों को पंजीकृत करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता नियमों का अनुपालन करें, उनका वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा हो और ईमानदारी के साथ व्यवसाय करें।
- पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करता है और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करता है।
- **उल्लंघनों की जांच करना:** नियमों का उल्लंघन करने वाले बीमाकर्ताओं या मध्यस्थों के खिलाफ जांच करना और कार्रवाई करना।
- **बाज़ार विकास:** अनुसंधान करता है, डेटा एकत्र करता है, और बीमा जागरूकता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
    - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी है।
    - **पहले, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर प्रतिबंध था।**
    - IRDAI के निर्णय का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विस्तारित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और बच्चों और मातृत्व आवश्यकताओं सहित विविध जनसांख्यिकीय समूहों को पूरा करना है।
    - स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष नीतियां विकसित करने और उनके दावों और शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित चैनल स्थापित करने का दायित्व दिया गया है।
    - बीमा कंपनियों को अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट आयु-संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

PatriotiCAS

- इस कदम से भारत में सभी आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- IRDAI एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो भारत के बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के प्रबंधन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।

'महत्वपूर्ण कदम '

- आयु प्रतिबंध हटने के साथ, अब बुजुर्ग भी कैशलेस बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि **इस जनसांख्यिकीय के लिए प्रीमियम अधिक हो सकता है।**
- इस बदलाव से बच्चों, मातृत्व मामलों और वरिष्ठ नागरिकों सहित चिकित्सा बीमा की आवश्यकता वाले लोगों को बहुत लाभ होने की उम्मीद है, जिससे कई लोगों के लिए स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच हो सकती है और आयु वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सा व्यय का बोझ कम हो सकता है।

(21 अप्रैल) मणिपुर के 11 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ)

- **राज्य स्तर पर चुनाव प्रमुख:** सीईओ किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे वरिष्ठ चुनाव अधिकारी होता है।
- **नियुक्ति: भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा नियुक्त,** आमतौर पर वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों में से।
- **ईसीआई से लिंक:** सीईओ राज्य में चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित ईसीआई के निर्देशों को लागू करता है।

मुख्य भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **चुनावों का समग्र पर्यवेक्षण:** राज्य में चुनाव संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - मतदाता सूची की तैयारी एवं पुनरीक्षण।
  - राज्य विधानसभा, संसद और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का संचालन।
  - आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन।
- **मतदाता शिक्षा और जागरूकता:** मतदाता पंजीकरण और चुनावी प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच और अभियान संचालित करता है।
- **चुनावी मशीनरी प्रबंधन:** कर्मचारियों की तैनाती, मतदान केंद्रों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और अन्य साजो-सामान व्यवस्थाओं की देखरेख करता है।

PatriotiAS

- **समन्वय:** सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क करना।
- भारत निर्वाचन आयोग ने भीतरी मणिपुर के पांच विधानसभा क्षेत्रों के 11 बूथों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया।
- यह निर्णय कुछ बूथों पर भीड़ की हिंसा, गोलीबारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को नष्ट करने की रिपोर्टों के बाद लिया गया।
- मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की घोषणा के अनुसार, इन बूथों के लिए 22 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच पुनर्मतदान निर्धारित किया गया है।
- प्रभावित मतदान केंद्र खुरई, थौंगजू, उरीपोक, कोन्थौजम और क्षेत्रीगाओ विधानसभा क्षेत्रों में स्थित हैं।
- इनमें से छह मतदान केंद्रों पर भीड़ की हिंसा, दंगों और मतदाताओं की ओर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की घटनाएं सामने आईं।
- इन घटनाओं ने मतदान प्रक्रिया की अखंडता को इस हद तक प्रभावित किया कि इन बूथों के परिणामों का पता नहीं लगाया जा सका।
- इम्फाल के मोइरंगकम्पु सेजाब प्राथमिक विद्यालय सहित इन मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों ने "भीड़ हिंसा" के कारण पुनर्मतदान की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की।

'गोलियों का आदान-प्रदान ' (‘Exchange of gunfire’)

- 19 अप्रैल की रात को, मणिपुर पुलिस ने गोलीबारी के बाद एक स्कूल के पास तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम एक घायल हो गया।
- इंफाल के खैदेम माखा मतदान केंद्र पर, अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने प्रवेश किया और **उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना 61 वोट डाल दिए, जिससे भीड़ हिंसा हुई।**
- इरोइसेम्बा अपर प्राइमरी स्कूल में तीन मतदान केंद्रों पर भी भीड़ की हिंसा हुई, जहां **ईवीएम को नष्ट कर दिया गया** जैसे ही जनता ने सुरक्षाकर्मियों पर काबू पाया।
- मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य रूप से आंतरिक मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में **12 विधानसभा क्षेत्रों में 47 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी, हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग की सूचना दी।**
- कांग्रेस ने बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के सुगनू क्षेत्र में 11 मतदान केंद्रों पर भी इसी तरह की घटनाओं का आरोप लगाया, लेकिन इन दावों को संबंधित चुनाव अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

PatriotIAS

एक मृत जलधारा 30 वर्षों के बाद फिर से जीवित हो उठती है (21 अप्रैल) (GS PaperIII: पर्यावरण संरक्षण)

- केरल के इडुक्की जिले के मरयूर सैंडल डिवीजन में एक आदिवासी बस्ती में एक जलधारा 30 साल बाद फिर से प्रकट हो गई है।
- इस परिवर्तन का **श्रेय 2021 से 2024 तक क्षेत्र में वन विभाग के नेतृत्व में एक पर्यावरण-बहाली पहल को दिया जाता है।**
- कम्मलमकुडी थोडु नामक धारा, विदेशी प्रजातियों के आगमन के कारण गायब हो गई थी।
- 1990 से पहले, कम्मालमकुडी के वन प्रभाग की पहाड़ियों में घास के मैदान और सक्रिय जल धाराएँ थीं।
- वन विभाग ने 2021-22 में **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थित एक पर्यावरण-बहाली परियोजना शुरू की।**

यूएनडीपी

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अंतरराष्ट्रीय विकास पर केंद्रित प्रमुख संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यह **गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और लचीलापन बनाने के लिए काम करता है,** जिससे देशों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

यूएनडीपी का कार्य तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है:

1. **सतत विकास:** देशों को समावेशी तरीकों से आर्थिक विकास हासिल करने, ग्रह की रक्षा करने और भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने में सहायता करता है।
2. **लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना:** लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने और निर्णय लेने में समावेशी भागीदारी का समर्थन करने में मदद करता है।
3. **जलवायु और आपदा लचीलापन:** देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने, उनके आपदा जोखिम को कम करने और स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने में सहायता करता है।

यूएनडीपी कैसे संचालित होता है

- **वैश्विक नेटवर्क:** यूएनडीपी के लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में कार्यालय हैं, जो जमीनी स्तर पर सहायता और स्थानीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
- **नीति सलाह:** विकास लक्ष्यों के अनुरूप नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए सरकारों के साथ काम करता है।
- **क्षमता निर्माण: विकासशील देशों में संस्थानों और व्यक्तियों को उनकी विकास पहलों का स्वामित्व लेने के लिए मजबूत करता है।**
- **साझेदारी: सरकारों, अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करता है** अपने मिशन को हासिल करने के लिए.

फंडिंग:

- यूएनडीपी को **मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया**

PatriotICIAS

जाता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- नाबार्ड एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) और शीर्ष नियामक संस्था है।
- यह भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की निगरानी करता है।
- **नाबार्ड अधिनियम 1981** के तहत स्थापित भारत की संसद द्वारा पारित।
- इसका पूर्ण स्वामित्व वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के पास है।

- पर्यावरण-पुनर्स्थापना पहल के हिस्से के रूप में **विदेशी प्रजातियों को व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया।**
- क्षेत्र में प्राकृतिक घासों को पनपने दिया गया।
- परिणामस्वरूप, जलधारा का कायाकल्प हो गया है और अब यह गर्म तापमान के दौरान भी **प्रति मिनट 6.5 लीटर पानी छोड़ती है।**
- **जलयोजन के लिए विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को आकर्षित करने के लिए धारा के किनारे** एक ब्रशवुड चेक-डैम बनाया गया था।

- पहाड़ियों के घास के मैदान में बदलने के बाद से इस क्षेत्र में विविध वन्यजीवों की आमद देखी गई है।

भारत एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि 'विनियमन' के पक्ष में है (21 अप्रैल) (GS PaperII: पर्यावरण)

- **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई)** के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत एकल-उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय "विनियमित" करने के पक्ष में है।
- प्लास्टिक **अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम (2021) ने 2022 में भारत में एकल-उपयोग प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया।**
- एकल-उपयोग प्लास्टिक को प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल सामान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे **आमतौर पर एक बार उपयोग किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है** । इसमें **प्लास्टिक के कप, चम्मच, ईयरबड, सजावटी थर्मोकोल और मिठाई के डिब्बे और सिगरेट के पैकेट के लिए रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म जैसी चीजें शामिल हैं।**
- हालाँकि, **प्रतिबंध में प्लास्टिक की बोतलें, यहां तक कि 200 मिलीलीटर से कम की बोतलें और दूध के कार्टन जैसे बहुस्तरीय पैकेजिंग बक्से भी शामिल नहीं हैं।**
- एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का कार्यान्वयन पूरे भारत में एक समान नहीं है, कई आउटलेट नियमों के बावजूद इन सामानों को बेचना जारी रखते हैं।
- **टोरंटो, कनाडा में वार्ता के** दौरान देशों से प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की उम्मीद है ।
- इनमें से एक विषय "एकल-उपयोग प्लास्टिक सहित समस्याग्रस्त और टाले जाने योग्य प्लास्टिक उत्पादों" से संबंधित है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- लक्ष्य इन उत्पादों को संबोधित करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय उपायों को लागू करना है, जैसे **उन्हें बाजार से हटाना, वैकल्पिक प्रथाओं या गैर-प्लास्टिक विकल्पों के साथ उत्पादन को कम करना और स्थिरता के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करना।**
- **समस्याग्रस्त प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, आयात और निर्यात पर** पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय "विनियमित" करने का समर्थन करती है।
- भारत ऐसे प्लास्टिक की पहचान के लिए "विज्ञान-आधारित मानदंड" का उपयोग करने पर सहमत हुआ है।
- यूरोपीय **संघ (ईयू)** ने प्लास्टिक की इन श्रेणियों को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है, जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका** भी एकल-उपयोग और परिहार्य प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने के बजाय विनियमित करने का समर्थन करता है।

PatriotICIAS

जीवन का स्थायी चक्र (21 अप्रैल)

- दिसंबर से अप्रैल के दौरान, तमिलनाडु का बंगाल की खाड़ी तट ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए घोंसला स्थल बन जाता है।

- ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ (लेपिडोचिल्स ओलिवेसिया) चेलोनीडे परिवार से संबंधित है।
- इसे प्रशांत रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है।
- यह प्रजाति **दुनिया भर के सभी समुद्री कछुओं में दूसरी सबसे छोटी और सबसे प्रचुर प्रजाति है।**
- **केम्प का रिडले समुद्री कछुआ** (लेपिडोचिल्स केम्पी) दुनिया भर के सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा है।
- मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों के गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में और कभी-कभी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है।
- अरिबाडा नामक अद्वितीय समकालिक सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है।
- अरिबाडास के दौरान, हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर इकट्ठा होती हैं।

- प्रत्येक कछुए लगभग 100 अंडे देता है, जो 45 से 60 दिनों के बाद फूटते हैं।
- वन विभाग और स्टूडेंट्स सी टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क और ट्री फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के संरक्षण प्रयास घोंसलों की रक्षा करते हैं।
- घोंसले के शिकार के मौसम के दौरान स्वयंसेवक और वन रक्षक रात में समुद्र तटों पर गश्त करते हैं, अंडों को शिकारियों और मानवीय गड़बड़ी से बचाने के लिए उन्हें अस्थायी हैचरी में स्थानांतरित करते हैं।
- एक बार अंडे सेने के बाद, कछुओं के बच्चों को अंधेरे की आड़ में समुद्र में छोड़ दिया जाता है।
- 2022-23 में, तमिलनाडु ने 1.83 लाख बच्चे छोड़े, जो सात वर्षों में सबसे अधिक है।
- कछुओं पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कुछ हैचरियाँ मौसम-निगरानी उपकरणों से सुसज्जित थीं।
- समुद्री कछुओं को मछली पकड़ने के गियर में उलझने और तटीय रिसॉर्ट्स से प्रकाश प्रदूषण के कारण भटकाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- 1,000 नवजात शिशुओं में से केवल एक ही वयस्कता तक जीवित रहता है।
- चुनौतियों के बावजूद, बच्चे प्रजातियों की निरंतरता के लिए आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समुद्र में जीवन के स्थायी चक्र का प्रतीक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PaperII: गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

प्रश्न: भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें। (200 शब्द/12.5 अंक)
(यूपीएससी 2015)

PatriotIAS

उत्तर दृष्टिकोण:

- पर्यावरणीय स्थिरता और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देने वाले परिवर्तन के एजेंटों के रूप में गैर सरकारी संगठनों (गैर-सरकारी संगठनों) की भूमिका को परिभाषित करके उत्तर का परिचय दें।
- फिर उन क्षेत्रों को सामने लाएँ जहाँ हमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- आगे प्रमुख बाधाओं को सामने लाएँ।
- इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकालें कि बाधाओं को दूर करने और गैर सरकारी संगठनों को मजबूत करने से पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अधिक मजबूत और समग्र दृष्टिकोण सामने आएगा।

उत्तर:

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भारत में पर्यावरणीय स्थिरता और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देने में परिवर्तन के एजेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने, समुदायों को एकजुट करने और नीति परिवर्तन की वकालत करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

वे क्षेत्र जहां हमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर्यावरण संरक्षण में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत किया जा सकता है।
- सबसे पहले, एनजीओ को अपने संचालन और पहुंच का विस्तार करने के लिए बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों के साथ सशक्त बनाया जा सकता है। पर्याप्त फंडिंग एनजीओ को अधिक परियोजनाओं को लागू करने, जागरूकता अभियान चलाने और पर्यावरणीय गिरावट से प्रभावित कमजोर समुदायों को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
- दूसरे, गैर सरकारी संगठनों की तकनीकी विशेषज्ञता और संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहल आवश्यक है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच गैर सरकारी संगठनों को जटिल पर्यावरणीय परियोजनाओं और पहलों को शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में ज्ञान साझा करने और नवाचार की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- अपनी क्षमता के बावजूद, गैर सरकारी संगठनों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की उनकी क्षमता में बाधा बनती हैं।
- एक बड़ी बाधा वित्तीय संसाधनों की कमी है, जो एनजीओ गतिविधियों के पैमाने और प्रभाव को

PatriotiqAS

सीमित करती है।

प्रमुख बाधाएँ

- कई गैर सरकारी संगठन स्थायी वित्त पोषण स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं और परियोजना-आधारित अनुदान और दान पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। यह वित्तीय अस्थिरता गैर सरकारी संगठनों के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय पहलों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना कठिन बना देती है।
- एक अन्य बाधा भारत में गैर सरकारी संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली नौकरशाही और नियामक बाधाएं हैं। जटिल पंजीकरण प्रक्रियाएँ, कठोर रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ और नौकरशाही देरी एनजीओ के लिए प्रशासनिक बोझ पैदा करती हैं और कुशलतापूर्वक काम करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती हैं।
- नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लालफीताशाही को कम करने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में अधिक लचीलापन प्रदान करने से इन बाधाओं को कम करने में मदद मिल सकती है और गैर सरकारी संगठनों को पर्यावरण संरक्षण के अपने मुख्य मिशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न संगठनों के बीच संचार और तालमेल की कमी के कारण अक्सर प्रयासों का विखंडन और दोहराव होता है। नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत करना, साझेदारी को बढ़ावा देना और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सामूहिक कार्रवाई के प्रभाव को अधिकतम कर सकता है।

इस प्रकार, बाधाओं को दूर करना और पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करना सतत विकास प्राप्त करने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर, सरकार और अन्य हितधारक भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में अधिक मजबूत और समग्र भूमिका निभाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सशक्त बना सकते हैं।

PatriotiCIAS

CJI का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों में सुरक्षा उपाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे (21 अप्रैल)

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नई आपराधिक न्याय प्रणाली को "हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण" बताया।

- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आयकर अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान अदालतें अक्सर "घृणित कहानियां" सुनती हैं और बेहतर सुरक्षा उपायों के लिए नए कानूनों की प्रशंसा की।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा "आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ" विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में ये टिप्पणी की।
- सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी-जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित थे।
- नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) शामिल हैं।
- इन कानूनों का लक्ष्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है और ये 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नए कानूनों ने आपराधिक न्याय पर भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है, जिससे पीड़ितों के हितों की रक्षा और कुशल जांच और अभियोजन चलाने के लिए बहुत जरूरी सुधार लाए गए हैं।
- उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) द्वारा निर्धारित उपायों पर प्रकाश डाला, जैसे कि खोज और जब्ती अभियानों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग और सात साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए अपराध स्थल पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आयकर अधिनियम के तहत उदाहरणों का हवाला देते हुए नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान प्रक्रियात्मक अनौचित्य से बचाने में दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग के महत्व पर जोर दिया।
- कानून मंत्री ने उन्हें चुप कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप पर कटाक्ष किया।
- उन्होंने दर्शकों के बीच ईडी प्रमुख राहुल नवीन और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में आरोप के जवाब के रूप में उनकी उपस्थिति का सुझाव दिया।

सुरक्षा की सोच

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने जोर देकर कहा कि नए कानूनों की शुरूआत के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है।
- उन्होंने इन कानूनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी लोगों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।
- सीजेआई ने कार्यवाही के डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य के निर्माण के दौरान डेटा रिसाव को रोकने और गोपनीयता की रक्षा के उपायों की वकालत की।

PatriotICAS

- इस बात पर प्रकाश डाला गया कि डिजिटलीकरण के संदर्भ में आरोपी और पीड़ित दोनों की गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

शर्करा युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हानिकारक क्यों हैं? (21 अप्रैल)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- **स्थापना:** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 2008 में बनाया गया।
- **कार्य:** भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय।
- **अधिदेश:** भारत में मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करता है:
    - खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित करना
    - खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन और निगरानी करना
    - सुरक्षित भोजन के व्यापार को सुगम बनाना

प्रमुख गतिविधियां:

- वैज्ञानिक प्रमाणों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर **खाद्य सुरक्षा मानकों का विकास और समीक्षा करना।**
- जोखिम श्रेणी के आधार पर विभिन्न आकार के **खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण**
- खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए **दिशानिर्देश बनाना।**
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में हितधारकों की **क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना।**
- निरीक्षण, परीक्षण और उल्लंघनों के लिए दंड के माध्यम से **खाद्य सुरक्षा नियमों का प्रवर्तन।**
- खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ खान-पान की आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर **उपभोक्ता सशक्तिकरण।**

संरचना:

- एक अध्यक्ष सहित 22 सदस्यीय बोर्ड द्वारा शासित।
- केंद्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है।

PatrioticIAS

- हाल ही में, स्वादयुक्त माल्ट-आधारित दूध पाउडर और शिशु आहार पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है।
- सरकारी अधिकारी इन उत्पादों को "स्वस्थ" लेबल करने के प्रति सावधान कर रहे हैं।
- उन्होंने उस मार्केटिंग रणनीति की आलोचना की है जो कथित तौर पर इन उत्पादों में अत्यधिक चीनी मिलाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करती है।
- यह चिंता विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उच्च चीनी सामग्री वाले उत्पादों के उपभोग के स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है।

माल्ट-आधारित, शर्करा युक्त दूध उत्पादों को 'स्वास्थ्य' पेय के रूप में लेबल करना समस्याग्रस्त क्यों है?

- बोर्नविटा जैसे उत्पादों के विश्लेषण से उच्च कार्बोहाइड्रेट और चीनी सामग्री का पता चलता है।
- बोर्नविटा के प्रत्येक 100 ग्राम में 86.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें 49.8 ग्राम चीनी होती है।
- कुल चीनी में से 37.4 ग्राम सुक्रोज या अतिरिक्त चीनी है।
- बोर्नविटा की 20 ग्राम खुराक में लगभग 10 ग्राम कुल चीनी होती है।
- माल्टिंग, बोर्नविटा जैसे माल्ट-आधारित पेय पदार्थ बनाने में उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया, स्टार्च को चीनी में परिवर्तित करती है।
- माल्टोज़, चीनी का एक रूप, माल्टिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है।
- बोर्नविटा में माल्टोडेक्सट्रिन, तरल ग्लूकोज और अनाज की माल्टिंग प्रक्रिया से उत्पन्न अन्य शर्करा भी शामिल हैं।

चीनी सामग्री पर FSSAI का क्या रुख है?

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य उत्पादों में चीनी सामग्री को नियंत्रित करता है।
- यदि किसी उत्पाद में प्रति 100 ग्राम कुल चीनी 5 ग्राम से कम है, तो FSSAI नियमों के अनुसार यह "चीनी पर कम" होने का दावा कर सकता है।
- इस मानदंड को पूरा करने वाले उत्पादों को संभावित रूप से "स्वस्थ" माना जा सकता है।
- हालाँकि, ऐसे उत्पाद जो इस चीनी सीमा से अधिक हैं लेकिन खुद को "स्वास्थ्य पेय" के रूप में विपणन करते हैं, एक समस्या पैदा करते हैं।
- ऐसे उत्पादों के सेवन से विशेष रूप से बच्चों में अत्यधिक चीनी का सेवन हो सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अनुशंसित चीनी का सेवन अधिक करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- भारतीय परिवार अक्सर चॉकलेट-पाउडर पेय में अतिरिक्त चीनी मिलाते हैं, जिससे चीनी की खपत और बढ़ जाती है।

शिशु आहार पर विवाद क्या है?

- नेस्ले के सेरेलैक ब्रांड द्वारा विपणन किए जाने वाले गेहूं सेब चेरी बेबी अनाज में प्रति 100 ग्राम में कुल 24 ग्राम शर्करा होती है।
- नेस्ले एक से दो वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम यह शिशु आहार खिलाने की सलाह देती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति दिन 24 ग्राम चीनी का सेवन होता है।

PatrioticIAS

- विशेषज्ञों का तर्क है कि बच्चे के आहार में स्तन के दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा के अलावा अतिरिक्त चीनी शामिल करना हानिकारक हो सकता है।
- अत्यधिक चीनी के सेवन से बच्चे के अग्न्याशय पर दबाव पड़ सकता है, जिससे इंसुलिन का अधिक उत्पादन हो सकता है और बाद में जीवन में मधुमेह और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है।
- स्वाद और बनावट बढ़ाने के लिए मिलाए जाने वाले माल्टोडेक्सट्रिन जैसे तत्वों में टेबल शुगर की तुलना में अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) होता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से वृद्धि होती है।
- अत्यधिक चीनी के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स का उत्पादन हो सकता है, जो लीवर में जमा एक प्रकार का वसा है, जो फैटी लीवर और इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान देता है, जिससे अंततः मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है।
- एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में लगभग 101.3 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हो सकते हैं, विशेष रूप से बचपन में चीनी के सेवन की निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

क्या FSSAI जांच भ्रामक लेबलों की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त होगी?

- सितंबर 2022 में, FSSAI ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें उच्च वसा, चीनी, नमक (एचएफएसएस) भोजन को संतृप्त वसा, कुल चीनी या सोडियम के उच्च स्तर वाले प्रसंस्कृत उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया।
- अधिसूचना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एचएफएसएस सामग्री के बारे में चेतावनी देने के लिए खाद्य पैकेट या पेय की बोतलों पर लेबलिंग प्रथाओं का मार्गदर्शन करना है।
- मसौदे के अनुसार, यदि कोई उत्पाद अपनी कुल ऊर्जा का 10% से अधिक चीनी और/या संतृप्त वसा से प्राप्त करता है, तो इसे वसा और/या चीनी में उच्च माना जाता है।
- हालाँकि, FSSAI ने इस संबंध में विनियमन को खुला छोड़ दिया कि क्या कंपनियों को पैकेजिंग के सामने वसा, चीनी और नमक की मात्रा घोषित करनी चाहिए।
- चेतावनी लेबल के बजाय, FSSAI ने 'स्वास्थ्य रेटिंग सितारों' की वकालत की, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि यह उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक हो सकता है।
- पब्लिक इंटरेस्ट में न्यूट्रिशन एडवोकेसी (एनएपीआई) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता का मानना है कि स्वास्थ्य सितारों की तुलना में चेतावनी लेबल उपभोक्ताओं के लिए अधिक अग्रिम और जानकारीपूर्ण हैं, जिससे उपभोक्ताओं को एचएफएसएस सामग्री की गणना स्वयं करने की आवश्यकता हो सकती है।
- HFSS का अर्थ है कि संतृप्त वसा नमक और चीनी है।

आगे का रास्ता क्या है?

- खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) विनियम, 2019 के अनुसार, दूध अनाज आधारित पूरक भोजन में चीनी की अनुमति है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ।

PatrioticIAS

- ये नियम पसंदीदा कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलिमर के उपयोग की अनुमति देते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट स्रोत के रूप में सुक्रोज और/या फ्रुक्टोज को तब तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो, और इन शर्कराओं का कुल योग कुल कार्बोहाइड्रेट सामग्री के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- डॉ. अरुण गुप्ता इन नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, खासकर चीनी के भत्ते के संबंध में।
- वह विशेष रूप से चीनी सामग्री के संदर्भ में 'स्वस्थ' और 'अस्वास्थ्यकर' भोजन और पेय पदार्थों को परिभाषित करने वाले व्यापक नियमों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।
- डॉ. गुप्ता ने पैक के सामने लेबलिंग और उच्च वसा, चीनी, नमक वाले खाद्य पदार्थों पर एक मसौदा अधिसूचना का उल्लेख किया है, जिस पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं देखी गई है।
- एक अंतर्निहित मुद्दा बिना सोचे-समझे उपभोक्ताओं के लिए 'स्वास्थ्य भोजन' के रूप में लेबल किए गए उत्पादों का विपणन है।
- एक उदाहरण उद्धृत किया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में बच्चों को 'स्वास्थ्य खाद्य पेय' के रूप में विपणन किए जाने वाले हॉर्लिक्स को वितरित करने के लिए पुणे के जिला परिषद के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की साझेदारी हुई है।
- शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम के तहत विज्ञापनों के माध्यम से शिशु आहार के प्रचार पर रोक लगाने वाले नियमों के बावजूद, नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग अक्सर शिशु आहार को बढ़ावा दे रहे हैं।
- डॉ. गुप्ता अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या दृष्टिकोण है? (21 अप्रैल)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान:** 1944 में स्थापित, आईएमएफ एक वैश्विक संगठन है जो आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- **सदस्यता:** 190 सदस्य देश अपने आर्थिक आकार के अनुसार धन का योगदान करते हैं।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।

आईएमएफ के प्रमुख कार्य

1. **निगरानी:**
    - वैश्विक, क्षेत्रीय और देश-स्तरीय आर्थिक विकास पर नज़र रखता है।
    - संकटों को रोकने के उद्देश्य से सदस्य देशों को नीति सलाह और पूर्वानुमान प्रदान करता है।
2. **उधार:**
    - भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

PatriotIAS

- आईएमएफ ऋण आर्थिक सुधारों और स्थिरीकरण उपायों पर केंद्रित शर्तों के साथ आते हैं।

3. **विकास क्षमता:**
    - सदस्य देशों में आर्थिक संस्थानों और नीति निर्धारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

शासन और वित्त पोषण

- **कोटा:** सदस्य देश आर्थिक ताकत, मतदान शक्ति का निर्धारण और वित्तपोषण तक पहुंच के आधार पर योगदान करते हैं।
- **विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर):** आईएमएफ की अपनी आरक्षित संपत्ति, जो सदस्यों के आधिकारिक आरक्षित को पूरक कर सकती है।

हाल के फोकस क्षेत्र

- **COVID-19 महामारी प्रतिक्रिया:** देशों को महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए आपातकालीन वित्तपोषण और नीति सहायता प्रदान की गई।
- **जलवायु परिवर्तन:** देशों को लचीलापन बनाने और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **ऋण स्थिरता:** अत्यधिक ऋणग्रस्त देशों को स्थायी समाधान खोजने में सहायता करना।
- **डिजिटल मुद्राएँ:** केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और अन्य नई वित्तीय प्रौद्योगिकियों के निहितार्थ की जांच करना।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर प्रकाश डालती है:
    1. लगातार ऊंची मुद्रास्फीति खतरा बनी हुई है.
    2. अनियमित ऋण बाजार में ऋण देने में वृद्धि हुई है।
    3. वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाकर बढ़ते साइबर हमले चिंताजनक हैं।
- ये कारक संभावित रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकते हैं।

महंगाई को लेकर क्या है IMF की चिंता?

- आईएमएफ ने उच्च मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई की समाप्ति के बारे में निवेशकों की बढ़ती आशावाद पर चिंता जताई है।
- निवेशक मुद्रास्फीति कम होने पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें कम करने की उम्मीद से स्टॉक जैसी वित्तीय परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ा रहे हैं।

PatioticIAS

- ब्याज दरों को कम करने में आम तौर पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा डालना शामिल होता है।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा अभी तक ब्याज दरें कम नहीं करने के बावजूद, निवेशक अब वित्तीय संपत्ति खरीदकर भविष्य में दरों में कटौती की अटकलें लगा रहे हैं।
- आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि यह आशावाद समय से पहले हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में कमी रुकी हुई है, और मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
- भू-राजनीतिक जोखिम, जैसे पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और कीमतों को बढ़ा सकते हैं, संभावित रूप से केंद्रीय बैंकों को दरों में कटौती करने से रोक सकते हैं।
- यदि ये जोखिम बने रहते हैं, तो निवेशक अपने आशावादी दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिससे परिसंपत्ति की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान होगा।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

- आईएमएफ ने केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को कम करने के बारे में आशावाद के कारण उभरते बाजारों में मजबूत फंड प्रवाह पर प्रकाश डाला है।
- 2023 में, भारत अमेरिका के बाद विदेशी पूंजी के दूसरे सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में स्थान पर रहा
- हालाँकि, यदि पश्चिमी केंद्रीय बैंक संकेत देते हैं कि वे उच्च ब्याज दरें बनाए रखेंगे, तो निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं।
- इससे भारतीय रुपये जैसी उभरती बाज़ार मुद्राओं पर दबाव बढ़ सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप के बावजूद, रुपया पहले ही कमजोर हो चुका है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.57 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है।
- यदि पश्चिमी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम नहीं करते हैं और पूंजी बहिर्वाह तेज हो जाता है, तो रुपये में और गिरावट आ सकती है, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली प्रभावित होगी।
- जवाब में, आरबीआई तरलता कम करके और ब्याज दरें बढ़ाकर रुपये की रक्षा कर सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है।

निजी ऋण बाज़ार के बारे में क्या?

- आईएमएफ ने बढ़ते अनियमित निजी ऋण बाजार के बारे में चिंता व्यक्त की, जहां गैर-बैंक वित्तीय संस्थान कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं।
- उच्च रिटर्न के कारण पेंशन फंड और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशकों की भागीदारी के साथ यह बाजार वैश्विक स्तर पर 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक फैल गया है।
- उधारकर्ताओं को इस बाजार से लाभ होता है क्योंकि वे लंबी अवधि के फंड तक पहुंच सकते हैं जो पारंपरिक तरीकों से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

PatioticIAS

- हालाँकि, आईएमएफ को चिंता है कि इस बाजार में कई उधारकर्ता वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, उनके पास ब्याज लागत को कवर करने के लिए कमाई की कमी है।
- चूंकि इन ऋणों का तरल बाज़ारों में बार-बार कारोबार नहीं किया जाता है, इसलिए निवेशकों के लिए इसमें शामिल जोखिमों का सटीक आकलन करना चुनौतीपूर्ण है।
- नतीजतन, वित्तीय तनाव के समय में निजी क्रेडिट परिसंपत्तियों के मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव नहीं हो सकता है।
- भारत में, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा समर्थित निजी ऋण बाजार में भी वृद्धि हुई है।
- एआईएफ उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं को उधार देते हैं जिन्हें पारंपरिक बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी जाती है और दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश करते हैं।
- भारत में एआईएफ के माध्यम से निवेश 2018-19 में ₹1.1 लाख करोड़ से तीन गुना होकर 2022-23 में ₹3.4 लाख करोड़ हो गया है।
- आरबीआई और सेबी जैसे वित्तीय नियामकों ने संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए इन फंडों की जांच बढ़ा दी है।

PatrioticIAS

PatrioticIAS